-प्रेस नोट-

दिनांकः 22.07.2024

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा महिला से पर्स छीनने वाले 02 वांछित अभियक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल व 4,500/- रुपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 18.07.2024 को वादिया संजीता सिंह पत्नी राजकुमार सिंह निवासी नवीन नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादिया का बैग जिसमे मेकअप का सामान व 16000/- रुपये थे उसे मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात युवको द्वारा वादिया के हाथ से झपट कर ले के संबंध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 392/24 धारा 304 बीएनएस मे अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 02 वांछित अभियुक्तगण **1.क्षितिज शर्मा पुत्र सुरेन्द्र शर्मा निवासी शिवपुरी कालौनी दिल्ली रोड आई0टी0आई0 , थाना सदर बाजार सहारनपुर 2. कुनाल शर्मा पुत्र स्व0 शिवा शर्मा निवासी पवन विहार टेलीफोन एक्सचैंज दिल्ली रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर** को कोर्ट रोड रेलवे पुल के नीचे रेलवे पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट) चैचिस नं0- MBLHA10CGGHE38734 व 4500/- रुपये नगद बरामद हुए ।बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपोरक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल को धारा 207 एम.वी. एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ करने पर गिरफ्तार** अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम दोनो 12 वीं पास है, व नशा करने के आदि है। हमें अक्सर पैसो की तंगी रहती है। दिनांक 18.07.2024 को अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिये हमने राह चलती महिला से पर्स छीनकर भाग गये थे। पुलिस द्वारा जो मोटरसाइकिल हमसे बरामद की है उसे हमने महिला से पर्स छिनने में इस्तेमाल किया था।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-**

1.क्षितिज शर्मा पुत्र सुरेन्द्र शर्मा निवासी शिवपुरी कालौनी दिल्ली रोड आई0टी0आई0 के पास थाना सदर बाजार सहारनपुर।

2. कुनाल शर्मा पुत्र स्व0 शिवा शर्मा निवासी पवन विहार टेलीफोन एक्सचैंज दिल्ली रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर।

**बरामदगी -**

- 4,500/रू नगद बरामद।
- घटना मे प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल(बिना नम्बर प्लेट) चैचिस नं0- MBLHA10CGGHE38734 व इंजन नं0-HA10ERGHE40326

**गिरफ्तार करने वाली टीम -**

1. उ0नि0 राहुल शर्मा थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. है0का0 67 कुलदेव थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 2045 रिंकू थाना सदर बाजार सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 22.07.2024

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना सदर बाजार पुलिस,सहारनपुर द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियत्रण एवं वांछित/वांरण्टी अभियक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 22.07.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त **बाबूराम पुत्र रामगुलाम निवासी ग्राम दुपिया मौ0 डेवरी कला थाना धानेपुर जिला गोण्डा, हाल पता दुर्गापुरी कालोनी खलासी लाईन थाना सदर बाजार सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद स0 1084/19 धारा 125(3) सीआरपीसी उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

बाबूराम पुत्र रामगुलाम निवासी ग्राम दुपिया मौ0 डेवरी कला थाना धानेपुर जिला गोण्डा हाल पता दुर्गापुरी कालोनी खलासीलाईन थाना सदर बाजार सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम:-**

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. है0का0 753 अमरपाल थाना सदर बाजार सहारनपुर।